North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

IRJIF IMPACT FACTOR:6.019

ISSN: 2454-2326 Vol. 6, Issue-5 May-2020

Index Copernicus Value: 58.12 Thomson Reuters ID: S-8304-2016

A Peer Reviewed Refereed Journal

सूरजपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो समुदाय के समग्र विकास हेतु संचालित योजना

प्रो. कमजिनी श्रीवास्तव
शोध निर्देशिका
प्राध्यापक, भूगोल विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बरेला
जबलपुर, मध्य प्रदेश

कु. थानेश्वरी तिवारी
पी. एच.डी.शोधार्थी
भूगोल विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बरेला
जबलपुर, मध्य प्रदेश

सरांश – इस शोध पत्र मे शोधार्थी द्वारा सूरजपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस कार्य हेतु पण्डो जनजाति के लोगों से वार्तालाप एवं आंकलन के साथ–साथ सरकारीं दस्तावेजों की भी सहायता ली गयी है। शोधार्थी द्वारा अपने शोधकार्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पण्डो जनजाति के विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं के क्रियान्वय का पण्डो जनजाति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है लेकिन पण्डो जनजाति के समग्र विकास के लिए इन योजनाओं को अच्छी प्रकार से लागू करने के साथ–साथ पण्डो जनजाति के अनुकूल और विकास योजनाओं के संचालन की आवश्यकता है।

शोध कुंजी – पण्डो जनजाति, सम्रग विकास, योजना क्रियान्वय।

छत्तीसगढ राज्य का गठन १ नवम्वर २००० को मध्यप्रदेश से अलग करके किया गया था जिसमें ३१ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है। सूरजपुर इस छत्तीसगढ राज्य का एक जिला है जिसमें ४५.५८ अनुसूचित जनजाति निवास करती है। सन २०१२ में छत्तीसगढ राज्य सरकार द्वारा सात विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के रूप बैगा, कमार, भुजिया,

बरिहोर, अनुझामाडिया, पहाड़ी कोरवा एवं पण्डो को निश्चित किया गया। पण्डो समुदाय के लोग विशेष रूप से सूरजपूर, बलरामपुर तथा सरगुजा में निवास करती है। शोधार्थी द्वारा अपने शोधकार्य हेतु सूरजपुर को चुना है। इस शोधकार्य में सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया है तथा सूरजपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो सुदायय के समग्र विकास हेतु संचालित योजनाओं को जानने का प्रयास किया है। शोधार्थी द्वारा आकड़ों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों के सम्पर्क एवं जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

पण्डो जनजाति के लिये शासन की व्यवस्था में अभी तक कराये गये शासकीय कार्यों का क्षेत्रिय आंकलन करने से यह स्पष्ट हुआ है, कि पण्डो जनजाति आज तक पिछड़ी स्थिति में है। वे आज भी उपेक्षा, शोषण के साथ शासन के अधिकारी व कर्मचरियों के वास्तविक पहुॅच से बाहर है। स्थानीय स्तर पर या जिला स्तर पर उनके समग्र विकास के लिए सही अर्थों में सरकारी योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका है जिसके फलस्वरूप आज भी पण्डो जनजाति अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वरोजगार, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन आदि विषयों पर काफी कमजोर है तथा पण्डो जनजाति समुदाय के लोगों का विकास सही रूप में नहीं हो पाया है। अतः पण्डो जनजाति समुदाय के विकास एवं उन्नति के लिए तथा देश के विकास में उनके योगदान हेतु सरकार द्वारा संचालित सभी सरकारी योजनाओं को वास्तविक रूप में लागू किया जाना चाहिए। शोधार्थी द्वारा सूरजपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो समुदाय के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा शोधार्थी द्वारा अपने सर्वेक्षण में निम्नलिखित सरकारी योजनाओं को पाया है-

१.राजस्व विभाग से सम्बन्धित योजना -

- पण्डो जनजाति द्वारा निवासित गांवों, मोहल्लों आदि में बटवारा, रिकार्ड दुररुस्ती, बंदोबस्त सुधार करना एवं वन अधिकार पत्र जारी करने का कार्य योजनावद्ध तरीके से करना।
- इनसे सम्बन्धित गांवों के ग्राम कोटवार, ग्राम पटेल का पद खाली हो तो उसकी पदपूर्ति शीध्र करना।

- राजस्व विभाग व पंचायत एवं ग्रामीण विभाग निकाय के सहयोग से 'ग्राम विकास एवं न्याय समिति की अवधारणा' को सफल करने हेतु प्रत्येक माह नियमित बैठक कराना।
- पण्डो जनजाति से सम्बन्धित वर्तमान समय तक राजस्व न्यायालय एवं ग्राम पंचायतों में पड़े मामलों का समाधान कराना।
- पण्डो जनजाति समुदाय के लोगों के नाम की भूमि पर से अन्य लोगों के कब्जे को हटवाना तथा उसे पूर्व कब्जेदार होने के नाते पण्डो जनजाति के लोगों को दिलाना।

२.पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित योजना –

- पण्डो जनजाति वाले ग्राम, पारा आदि में इनकी खेती, पशुपालन, उद्यानिकी बाड़ी की व्यवस्था को आधार देने हेतु मनरेगा व अन्य योजनाओं के तहत तलाब निर्माण, डबरी निर्माण, कुंआ, बांध, चेक डेम निर्माण, नहर नाली का निर्माण, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में नाला निर्माण कर उसमें पानी भरकर सिचाई नाली बनाकर इनके खेतों को पानी सप्लाई की व्यवस्था, मछली पालन हेतु तालाब का निर्माण, बाड़ी विकास योजना, पुल पुलिया का निर्माण, मिट्टी मुरूम सड़क आदि कार्यों को पण्डो जनजाति के लोगों को देना।
- पण्डो जनजाति समुदाय के ग्रामों में सामूहिक टयूबोल, लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से अनके खेतों में पानी पहुँचाना।
- पण्डो जनजाति समुदाय के आर्थिक विकास हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- पण्डो जनजाति के लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ दिलाना।
- पण्डो जनजाति के सजग एवं सक्रिय परिवारों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ दिलाना।
- पण्डो जनजाति के लोगों के परिवारों को उज्जवला योजना का लाभ दिलाना।
- पण्डो जनजाति के लोगों के परिवारों को सौभाग्य योजना का लाभ दिलाना।
- पण्डो जनजाति के ग्रामों में स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाना तथा सभी परिवारो में शोचालयों की व्यवस्था कराना।

३. वन विभाग से सम्बन्धित योजनायें –

- वनोपज आधारित कुटिर उद्योग जैसे– दोना पत्तल, प्रसंस्करण का कार्य, वन औषधि खेती, आदि कार्यों को बढावा देना।
- पण्डो जनजाति के लोगों द्वारा लम्बे समय से कब्जा की गयी भूमि हेतु इसी जनजाति के लोगों को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना तथा इस बात का ध्यान रखना कि आगे से कोई पण्डो जनजाति का व्यक्ति इस प्रकार का कब्जा ना करे।
- वन विभाग के द्वारा गठित ग्राम वन प्रबंधंन समिति के कार्यों को लक्ष्यों के अनुरूप पण्डो समुदाय के ग्रामों में विशेष रूप से लागू कराना।
- पण्डो जनजाति समुदाय के लोगों के आर्थिक विकास एवं वनों की कटाई को रोकने के लिए व्यवस्था करना।

४. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजना –

- पण्डो जनजाति के ग्रामों में जल के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्रों को लगाना।
- पण्डो जनजाति के ग्रामों में जहॉ हेण्डपम्पों की आवश्यकता है वहॉ पर जल की पूर्ति के लिए हेण्डपम्पों को लगाना।

५. शिक्षा स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की योजना –

- सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत पण्डो जनजाति समुदाय के ग्रामों में पूर्ण स्वीकृत सभी स्कूलों में भवन एवं अन्य सुविधाओं को पूर्ण करना।
- विद्यार्थियों के सम्रग विकास के लिए सामान्य शिक्षा के साथ–साथ उद्यानिकी, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि आदि की भी व्यवस्था ।
- पण्डो जनजाति वाले ग्रामों में आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्टाफों की पूर्ति करना।

- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति एवं टीकाकरण को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना।
- आधार कार्ड बनवाने के कार्य को पूरा करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन को पूरा कराना तथा उनकी पुताई, रंग रोगन, परिसर की सफाई, बागबानी कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

६. जल संसाधन विभाग की योजना –

- पण्डो जनजाति समुदाय के ग्रामों में सिचाई की व्यवस्था करना तथा राहत आपदा निधि एवं सम्बन्धि मदों की व्यवस्था।

७. आदिम जाति कल्याण विभाग की योजना –

- पण्डो जनजाति के द्वारा निवासित ग्रामों के आश्रमों, छात्रावासों के भवनों की पुताई, शोचालयों को बेहजर बनाना, बागवानी आदि की व्यवस्था।
- पण्डो जनजाति समुदायों के लोगों की आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करना एवं इसके लिए पण्डो जनजाति के परिवार के सदस्यों के बीच कार्यों का बटवारा करना तथा उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान कराना एवं उनमें शराब पीने की आदत को समाप्त करना।
- पण्डो जनजाति के लोगों के आपसी विवादों को स्वंय ही निबटाने के लिए प्रेरित करना तथा बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही मामले को कोट कचहरी में लाना।
- सामाजिक विवाहों को प्रोसाहन देना तथा सामाजिक रीति रिवाजों को उन में पूरी तरह सें लागू कराना एवं ढुकु प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना।
- पण्डो जनजाति समुदाय के परिवारों की आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए उन्हें अपनी कमाई का कुछ भाग को बचाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- पण्डो जनजाति के देव घरों को ठीक-ठाक कराने की व्यवस्था करना जिससे इस जनजाति के लोगों में श्रद्धा एवं धर्म परायणता बढे तथा इनकी संस्कृति संरक्षित हो सके।

८. कृषि, उद्यानिकी, बागवानी एवं पशु विभाग की योजना –

- इन विभागों द्वारा पण्डो जनजाति समुदाय के लोगों के विकास के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं को लागू करने पर बल दिया जा रहा है। फसल प्रदर्शन, बागबानी विकास, पशुपरलन, डयरी विकास की विशेष योजना को पण्डो जनजाति के ग्रामों, पारा, मोहल्ला आदि में अनिर्वाय रूप से लागू किया जा रहा है।
- सरकार द्वारा पण्डो जनजाति समुदाय के परिवारों को कृषि यंत्र, उद्यानिकी के तहत पौध एवं यंत्र वितरण के साथ गाय पालन, बकरी, सुअर, कुक्कुट पालन आदि के क्षे़त्र में विशेष सहयोग दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा पण्डो जनजाति समुदाय के विकास के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जो इस समुदाय के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देता है तथा जो पण्डो जनजाति विकास के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। पण्डो जनजाति समुदाय के लिए चलायी जा रही योजनाओं के क्रियान्वय हेतु नोडल भूमिका में परियोजना अधिकारी पण्डो विकास अभिकरण व परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग सूरजपूर के द्वारा जा रहा है परन्तु पण्डो जनजाति के समग्र विकास हेतु इन योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए विशेष भूमिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर की है। इनके मार्गदर्शन में जिले के सभी विभाग पण्डो जनजाति के विकास को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसमें विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पाक्षिक समीक्षा, परियोजना अधिकारी पण्डो विकास अभिकरण के समन्वय में मुखिया के रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर के द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी सूरजपुर द्वारा जिले में संचालित इन योजनाओं की समीक्षा प्रत्येक माह की जाती है।

शोधार्थी द्वारा अपने शोधकार्य के आधार पर पाया कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का पण्डो जनजाति के विकास पर सकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है लेकिन पण्डो जनजाति का समग्र रूप से विकास नहीं हो सका है इसलिए पण्डो जनजाति के समग्र विकास के लिए निम्नलिख्ति बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए–

- पण्डो जनजाति के विकास के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं के निमार्ण एवं उनके क्रियान्वय में पण्डो जनजाति के लोगों की भागीदारी और अधिक की जानी चाहिए।
- पण्डो जनजाति के समग्र विकास हेतु योजनाओं का निमार्ण पण्डो जनजाति को विशेष रूप से ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
- सरकारी योजनाओं को वास्तविक रूप में लागू किया जाना चाहिए।
- सरकारी योजनाओं के क्रियान्वय का समय–समय पर निरीक्षण भी किया जाना चाहिए।
- पण्डो जनजाति समुदाय के सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कम करना चाहिए।
- पण्डो जनजाति समुदाय के लोगों के संरक्षण एवं विकास के लिए और प्रबन्ध किये जाने चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- चौधरी, बुद्ध देव १९६५ ट्राइबल डवलपमेन्ट इन इण्डिया।
- तिवारी, राकेश कुमार १९९० आदिवासी समाज में आर्थिक जीवन, नार्दन बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
- गुप्ता, एम. एल. १९८७ सामाजिक संरचना प्रक्रिया एवं परिवर्तन, साहित्य भवन, आगरा।
- छत्तीसगढ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन।
- जिलाधिकारी, सूरजपूर का पण्डो जनजाति हेतु योजनाओं के बारे में दस्तावेज।